

ग्राहक जागरूकता

अतिदेय, विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की अवधारणाएं

1. 'देय' और 'अतिदेय' का अर्थ

देय: किसी ऋण खाते का मूलधन, उस पर लगा ब्याज या कोई अन्य प्रभार, जिसका भुगतान निर्धारित अवधि में किया जाना हो, उसे 'देय' कहा जाता है।

अतिदेय: 'अतिदेय' वह राशि है, जो किसी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देनी होती है। यदि इस राशि का भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित और उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत देय तिथि को या उससे पहले नहीं किया जाता है, तो इसे अतिदेय कहा जाता है।

2. विशेष उल्लेख खाते के रूप में वर्गीकरण

ऐसे उधारकर्ता खाते, जिनमें वित्तीय दबाव दिख रहा हो या भुगतान में देरी हो रही हो, उन्हें विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मीयादी ऋण के लिए एसएमए वर्गीकरण का आधार निम्नलिखित अनुसार है:

एसएमए उप-श्रेणियां	वर्गीकरण का आधार (मूलधन या ब्याज का भुगतान पूर्णतः या आंशिक रूप से अतिदेय होने पर)
एसएमए-0	30 दिनों तक
एसएमए-1	30 दिन से 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिन से 90 दिनों तक

3. अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण (एनपीए)

यदि किसी ऋण खाते में ब्याज, मूलधन की किस्त या कोई अन्य बकाया राशि 90 दिनों से अधिक समय तक जमा नहीं होती है, तो ऐसे ऋण खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

4. एसएमए/एनपीए वर्गीकरण के उदाहरण

बैंक की दिनांत (दिन समाप्ति) आस्ति वर्गीकरण प्रक्रिया को निम्नलिखित कैलेंडर उदाहरण को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है:

- **देय तिथि** : मान लीजिए कि ऋण की किसी किस्त के भुगतान की निर्धारित देय तिथि 31 मार्च है।
- **एसएमए-0**: यदि 31 मार्च को बैंक द्वारा दिनांत (डे-एंड) प्रक्रिया के शुरू होने से पहले पूरी देय राशि प्राप्त नहीं होती है, तो यह खाता अतिदेय हो जाता है और 31 मार्च को ही इसे 'एसएमए-0' के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा।
- **एसएमए-1**: यदि खाता इसके बाद भी लगातार अतिदेय रहता है, तब 30 अप्रैल को दिनांत प्रक्रिया पूरी होने पर (अर्थात् लगातार अतिदेय रहने के 30 दिन पूरे होने पर) इसे 'एसएमए-1' के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा।
- **एसएमए-2**: यदि खाता आगे भी लगातार अतिदेय रहता है, तो 30 मई को दिनांत प्रक्रिया पूरी होने पर (अर्थात् लगातार अतिदेय रहने के 60 दिन पूरे होने पर) इसे 'एसएमए-2' के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा।
- **एनपीए**: यदि खाते में अतिदेय स्थिति निरंतर बनी रहती है, तो 29 जून को दिनांत प्रक्रिया पूरी होने पर (अर्थात् लगातार अतिदेय रहने के 90 दिन पूरे होने पर) खाते को 'एनपीए' के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा।

5. एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का अपग्रेडेशन

एनपीए के रूप में वर्गीकृत किसी ऋण खाते को 'मानक' आस्ति श्रेणी में केवल तभी अपग्रेड किया जाएगा, जब उधारकर्ता द्वारा बैंक के पास चल रहे अपने सभी ऋण खातों की पूरी अतिदेय राशि (बकाया राशि) का भुगतान कर उसे चुका दिया जाए।

यदि किसी भी एक ऋण खाते में अतिदेय राशि 90 दिनों से अधिक हो जाती है, तो बैंक के पास उस उधारकर्ता के अन्य सभी ऋण खातों को भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा।

अतिदेय, एसएमए, एनपीए, अपग्रेडेशन आदि के संबंध में यह बुनियादी जानकारी ग्राहकों के हित और मार्गदर्शन के लिए प्रदान की गई है। इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) या भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा पूर्व सूचना के साथ बदलाव किया जा सकता है। उधारकर्ताओं से इस विषय में खुद को अद्यतित (अपडेटेड) रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (www.rbi.org.in) तथा अन्य आधिकारिक स्रोतों पर उपलब्ध दिशानिर्देशों का संदर्भ लेने का अनुरोध है। विस्तृत जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए उधारकर्ता बैंक से [info\[at\]eximbankindia\[dot\]in](mailto:info[at]eximbankindia[dot]in) पर संपर्क कर सकते हैं।